

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद भदोही

दिनांक- 09.10.2026

- ◆ अवैध शराब परिवहन के मामले में मा0 न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा तथा ₹500/- के अर्थदण्ड से किया दंडित
- ◆ पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी एवं अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने के फलस्वरूप 19 वर्ष पुराने मामले में हुई सजा

दिनांक 21.02.2007 को थाना सुरियावां पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त सोहनलाल पुत्र रामनरायन (निवासी- कोछियां, थाना- सुरियावां, जिला-भदोही) को 12 शीशी अवैध शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में थाना सुरियावां पर अपराध संख्या- 98/2007, धारा- 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

श्री अभिनव त्यागी पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय से त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही व लंबित पुराने मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व एपीओ वीरेन्द्र वर्मा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 08.10.2026 को मा0 न्यायाधीश आशीष कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही-ज्ञानपुर द्वारा अभियुक्त सोहनलाल को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा तथा ₹500/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।